न्यायालय नायब तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर

मु0 न0	दायर दिनांक	अ0 धा0	निर्णय दिनांक
47/21	16.02.21	91 एल0आर0 एक्ट	28.10.2021

निर्णय

सरकार बनाम प्रहलाद सिंह पुत्र घासीराम जाति–मेघवाल, निवासी–स्वामी की ढाणी तहसील फतेहपुर

28.10.2021 पत्रावली आज पेश हुई । गैरसायल अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का दांतरू ने सम्वत 2077 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि **मोजा ग्राम स्वामी की ढाणी के राजकीय भूमि ख0न0 87 रकबा 16.46 है0 किस्म चारागाह में से 0.02 है0 पर प्रहलाद सिंह पुत्र घासीराम जाति–मेघवाल, निवासी–स्वामी की ढाणी तहसील फतेहपुर ने पत्थरों की कच्ची डोल व तारबंदी लगाकर** अतिक्रमण किया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का दांतरू के आधार पर प्रकरण राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर गैरसायल को अ0 धा0 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलबी वास्ते जवाबदेही की गई । गैरसायल ने जवाब नोटिस पेश नही किया गया । गैर सायल के विरूद्व दिनांक 12.10.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । **गैर सायल के विरूद्व पटवारी हल्का दांतरू की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 28.10.2021 को बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई ।**

रिपोर्ट पटवारी हल्का दांतरू एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । गैर सायल द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है । अतः गैर सायल को राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा **गैर सायल प्रहलाद सिंह पुत्र घासीराम जाति–मेघवाल, निवासी--स्वामी की ढाणी तहसील फतेहपुर के राजकीय भूमि ख0न0 87 रकबा 16.46 है0 किस्म चारागाह में से 0.02 है0 भूमि से आदेश बेदखली पारित किया जाता है ।** भू0अ0नि0 बिराणिया को आदेश दिया जाता है कि गैर सायल को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें ।

गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह **लगान 00.10 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 05/–** रूपये बतौर शास्ती आरोपित किये जाते है । तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

कार्यालय तहसीलदार फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)

तहसीलदार
फतेहपुर (सीकर)

तहसीलदार
तहसील फतेहपुर – सीकर